


-: आदेश :-


उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है। उक्त दुरुस्ती को करने हेतु सहपति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहपति व्यक्त की गई है। उक्त दुरुस्ती का एक त्रि-कोणीय ड्युटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरुस्ती परस्पर सहपति से किए जाने हैं। उक्त संज्ञा में दुरुस्ती की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरुस्ती सार्वजनिक अभिलेख में होने की संज्ञा में आती है। अतः उक्त इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूरा इन्द्राज			दुरुस्त किया गया इन्द्राज				
1	2	3	4	5	6	7	8
खतबे का क्रमांक	खतबे का संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	खसरा (हकदार)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	खसरा संख्या
		श्रीमती प्रजा	78	534	श्रीमती प्रजा	78	534
		श्रीमती प्रजा			श्रीमती प्रजा		
		श्रीमती प्रजा			श्रीमती प्रजा		
		श्रीमती प्रजा			श्रीमती प्रजा		

358
29/10/21


 श्री प्रसाद
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डी.दरगाह)
 PGKSA-2021, प.स. मौलासर
 दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर


 श्री प्रसाद
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डी.दरगाह)
 PGKSA-2021, प.स. मौलासर
 दिनांक :-

उपरोक्त दुरुस्ती को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं है तो निर्धारित
 समय में सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर

उप तहसीलदार, मौलासर